उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम
(UTET-I) - 2013

विवरण पुस्तिका व आवेदन पत्र
Information Brochure And Application Form

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि : 24 दिसम्बर 2012 से 15 जनवरी 2013 तक

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि : 16 जनवरी 2013 तक

आवेदन पत्र प्राप्त करने का स्थान :
उत्तराखण्ड में स्थित जिला मुख्यालयों के मुख्य
डाकघर एवं निर्धारित डाकघर

आवेदन पत्र जमा करने का स्थान :
(केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा)
सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल) – 244715

नोट : पूरित ओ०एम०आर० एवं परम्परागत आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 01.07.2013 होगी।

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (प्रथम) (UTET-I)-2013

(प्राथमिक (I-V) विद्यालयों में शिक्षकों हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा)

बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 29.07.2011 द्वारा राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं राज्य के नियंत्रणाधीन ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं। जिसके अनुसार इन विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या – F.No. 1-17/2010-EE-4 (Pt) New Delhi दिनांक 26.10.2012 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 29.07.2011 के प्रस्तर 3(1) में वर्णित अर्हताधारियों हेतु निर्धारित 01.01.2012 की तिथि को संशोधित करते हुए 31.03.2014 तक कक्षा 1 से 5 की कक्षाओं में शिक्षण कार्य हेतु अनुमन्य किया गया है।

अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु एन0सी0टी0ई0 द्वारा समय–समय पर किये गये परिवर्तन मान्य होंगे। शासनादेश संख्या 972/XXIV(1) /2012–15/ 2011 शिक्षा अनुभाग–I (बेसिक) देहरादून दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (प्रथम) को आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसकी परीक्षा दिनांक **24 फरवरी 2013** को प्रातः 11.00 बजे से 12.30 बजे तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में प्रस्तावित है।

इस परीक्षा हेतु ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र तथा परम्परागत आवेदन पत्र दोनों प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र शासन द्वारा नियत शुल्क नकद भुगतान करने पर उत्तराखण्ड के सभी जनपदों के मुख्य डाकघर एवं अन्य निर्धारित डाकघरों से **दिनांक 24–12–2012** से 15–01–2013 तक प्राप्त किये जा सकते हैं, जिसका उल्लेख **प्रस्तर–6** में किया गया है, तथा परम्परागत आवेदन पत्र विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न होगा। पूरित आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि **16 जनवरी 2013 के सायं 5.00 बजे तक** है। पूरित आवेदन पत्र केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक से **सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल), उत्तराखण्ड पिन कोड– 244715** के पते पर ही भेजा जाना है।

1. **अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) UTET-I (प्राथमिक शिक्षकों हेतु) के लिए न्यूनतम अर्हता :–**

   न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)।

   अथवा

   न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र

में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी0एल0एड0)।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा।

अथवा

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से भी जाना जाता हो)।

अथवा

ऐसे शिक्षा मित्र जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से डी0एल0एड्0 प्रशिक्षण करवाया जा रहा है, **भी प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET-I) हेतु अर्ह होंगे।**

अथवा

वह व्यक्ति जिसनें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बी0एड0/एल0टी0/शिक्षा शास्त्री(केवल संस्थागत) अर्हता अथवा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी0एड0/एल0टी0/शिक्षा शास्त्री(केवल संस्थागत)) उत्तीर्ण किया हो अथवा जिसने डी0एड0 (विशेष शिक्षा) अथवा बी0एड0 (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो।

एक वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत् अथवा दो वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा चार वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अर्ह होंगे। समस्त शैक्षिक उपाधियां भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गयी हों। प्रशिक्षण उपाधियां एन0सी0टी0ई0 अथवा आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त की गयी हो अथवा प्राप्त की जा रही हो।

नोट :– **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग एवं विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी को उक्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में न्यूनतम अर्हता अंको में 5 प्रतिशत तक की छूट है।**

2. अध्यापक पात्रता परीक्षा का स्वरूप

अध्यापक पात्रता परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। किसी भी प्रश्न में ऋणात्मक अंक नहीं दिया जायेगा। परीक्षा अवधि 1 घण्टा 30 मिनट की होगी तथा प्रश्नों की संख्या 150 होगी। इनका विभाजन निम्नवत् होगा–

प्राथमिक स्तर (I-V) का पाठ्यक्रम (UTET-I) :

क्र0सं0	विषय(सभी अनिवार्य)	प्रश्नों की संख्या	अंक
1	बाल विकास एवं पैडॉगाजी	30	30
2	प्रथम भाषा	30	30
3	द्वितीय भाषा	30	30
4	गणित	30	30
5	पर्यावरण अध्ययन	30	30
	योग	**150**	**150**

नोट –

- प्रश्नों का हल ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर देना होगा। सही विकल्प उत्तर वाले गोले को काले बॉल पाइंट पेन से इस प्रकार भरना होगा कि स्याही गोले से बाहर न फैलने पाये।
- भाषा के प्रश्न पत्र के अलावा अन्य प्रश्नपत्र द्विभाषिक अर्थात हिन्दी तथा अंग्रेजी में मुद्रित होंगे।
- प्रथम भाषा (अध्यापन की भाषा) के रूप में अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा।
- प्रथम भाषा के अन्तर्गत चयनित भाषा के अतिरिक्त हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से किसी एक अन्य भाषा का चयन भाषा द्वितीय के रूप में किया जाना होगा। जो प्रथम भाषा से पृथक होगी।
- बाल विकास एवं पैडॉगाजी से संबंधित प्रश्न 6–11 वयवर्ग के बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम पर केन्द्रित होंगे। जो कमजोर, विकलांग, सामाजिक रूप से पिछड़े इत्यादि विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों की समझ रखने वाले की परख कर सकें ताकि अभ्यर्थी विविध प्रकार के शिक्षार्थियों की विशेषताओं एवं गुणों वाले बच्चों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक शिक्षक के रूप में सिद्ध हो सके।
- गणित तथा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो कि अभ्यर्थी की विषय की समझ तथा समस्या समाधान की योग्यता एवं शिक्षण विज्ञान की समझ का मूल्यांकन करते हों। प्रश्न, कक्षा 01 से कक्षा 05 तक के लिए राज्य द्वारा विहित पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों पर आधारित होंगे।

- प्रश्न पत्र कक्षा 01 से कक्षा 05 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा किन्तु इसका कठिनाई स्तर माध्यमिक कक्षा तक हो सकता है।
- भाषा विषय के प्रश्न अध्यापन माध्यम की समझ, भाषा का अनुप्रयोग, शब्दभंडार, व्याकरण के ज्ञान पर आधारित होंगे। प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण एवं भाषा को समझने की योग्यता पर पूछे जायेंगे।

3. न्यूनतम अर्हता अंक–

अध्यापक पात्रता परीक्षा (**TET**) में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे।

नोट – T.E.T. में उत्तीर्ण होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति/रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा क्योंकि यह अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु एक अनिवार्य पात्रता मात्र है। शिक्षकों की नियुक्ति/चयन राज्य सरकार के संगत अध्यापक सेवा नियमावली तथा समय– समय पर जारी नियम/निर्देश के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

4. अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अवसर

अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी एक या एक से अधिक बार सम्मिलित हो सकता है। इसके अतिरिक्त **T.E.T.** उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंक सुधारने हेतु इस अध्यापक पात्रता परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकता है। अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 07 वर्ष तक होगी। यदि कोई व्यक्ति अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने की दिनांक से 07 वर्ष के भीतर सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पदों पर सेवायोजित होने में असफल रहता है, तो उसे अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. अध्यापक पात्रता परीक्षा की उपयुक्तता

केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (द) में उल्लिखित सभी विद्यालयों में मान्य होगी। राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के अन्तर्गत संचालित ऐसे सभी विद्यालयों में जो राज्य सरकार के अधीन हों/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों/किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हो जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो, नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।
अन्य राज्यों के अध्यापक पात्रता परीक्षा (**TET**) उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

6. आवेदन पत्र की प्राप्ति एवं शुल्क विवरण–

(i) राज्य के निम्नलिखित जनपदों के निर्धारित डाकघरों से आवेदन पत्र निर्धारित धनराशि भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकेंगे, जिसमें **ओ0एम0आर0 (OMR)** आवेदन पत्र, **परम्परागत आवेदन पत्र** एवं विवरण पुस्तिका सम्मिलित हैं। विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र पर ही आवेदन करना अनिवार्य है। दोनों प्रकार के आवेदन पत्रों को, विवरण पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार भरकर आवेदन पत्र प्रदत्त निर्धारित लिफाफे में बन्द कर अन्तिम तिथि **16 जनवरी 2013** के **सांय 5.00** बजे तक **सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल– पिन कोड–244715** के कार्यालय में मात्र पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराये गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा वे निरस्त समझे जायेंगे। उक्त आवेदन पत्र निर्धारित डाकघरों से दिनांक **24 दिसम्बर 2012** से 15 जनवरी, 2013 तक प्राप्त किए जा सकेंगे।

क्र0सं0	जनपद का नाम	डाकघर का नाम, जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं
1	हरिद्वार	हरिद्वार (H.P.O.), रूड़की।
2.	देहरादून	देहरादून(G.P.O.), विकासनगर, ऋषिकेश, चकराता।
3.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी, बड़कोट।
4.	टिहरी	नई टिहरी (H.P.O.), नरेन्द्रनगर।
5.	पौड़ी	श्रीनगरगढ़वाल,कोटद्वार(H.P.O.),पौड़ी(H.P.O.),बीरौंखाल ।
6.	चमोली	गोपेश्वर(H.P.O.), जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली।
7.	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग।
8.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ(H.P.O.), डीडीहाट, धारचूला, बेरीनाग।
9.	चम्पावत	चम्पावत, टनकपुर, लोहाघाट।
10.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा(H.P.O.), रानीखेत, भिकयासैंण।
11.	बागेश्वर	बागेश्वर, बैजनाथ (गरूड), काँडा।
12.	नैनीताल	नैनीताल(H.P.O.), हल्द्वानी(H.P.O.), रामनगर, धारी।
13.	ऊधमसिंहनगर	रूद्रपुर, काशीपुर, खटीमा।

(ii) आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ₹640/– (रुपया छः सौ चालीस मात्र), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ₹340/–(रुपया तीन सौ चालीस मात्र) तथा विकलांग अभ्यर्थियों हेतु ₹240/–(रुपया दो सौ चालीस मात्र) निर्धारित है। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित है, वह उसी

श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करेगा। भिन्न श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

7. आवेदन पत्र से सम्बन्धित जानकारी–

(क) अभ्यर्थी को ओ0एम0आर0 एवं विवरण पुस्तिका में दिये गये परम्परागत आवेदन पत्र पर ही निर्देशानुसार आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से आवेदन करने पर, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेंगा। आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारियों को देना अनिवार्य है।

(ख) **परम्परागत आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्रों/अंकपत्रों की छाया प्रति, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो,** संलग्न करना अनिवार्य है।

(ग) यद्यपि आवेदन पत्र **सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल पिन कोड–244715 के कार्यालय** में जमा होने की अन्तिम तिथि **16 जनवरी 2013 सायं 5:00** बजे निर्धारित है, तथापि अभ्यर्थी अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना यथाशीघ्र आवेदन पत्र रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से प्रेषित कर दें ताकि विलम्ब के कारण आवेदन पत्र के निरस्तीकरण की सम्भावना से बचा जा सके।

8. <u>लिखित परीक्षा केन्द्र</u>

(i) लिखित परीक्षा हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों के विभिन्न शहरों में परीक्षा केन्द्र होंगे, जिनका विवरण एवं कोड इस विवरण पुस्तिका के **प्रस्तर–10{II (q)}** में दिया गया है। परीक्षा केन्द्र हेतु इच्छित जनपद के शहर का नाम एवं कोड का उल्लेख आवेदन पत्र में अवश्य करें। परीक्षा केन्द्र का आवंटन एक बार हो जाने के पश्चात उसमें किसी भी बदलाव की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जायेगा। परीक्षा के लिए वरीयता के अनुसार चयनित दो शहरों के विकल्प दिये जाने आवश्यक हैं। परीक्षा संस्था द्वारा परीक्षा केन्द्र आवश्यकतानुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है।

(ii) अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। इसका वहन अभ्यर्थी को स्वयं करना होगा।

9. लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र :

अर्ह अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व उनके द्वारा लिखे गये पत्र व्यवहार के पते पर पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का अनुक्रमांक, नाम एवं पता, विषय, परीक्षा केन्द्र का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा अवधि एवं अन्य जानकारी होगी। प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति सूची में अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर होंगे जिनका मिलान परीक्षा के समय किया जायेगा। लिखित परीक्षा हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों के नाम उनके आवंटित परीक्षा केन्द्र का नाम, वेबसाइट **www.ubse.in** में उपलब्ध होगा। यदि किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम वेबसाइट पर है किन्तु उसे प्रवेश पत्र नहीं मिला है तो वह

परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व प्रातः 10.00 से 4.00 बजे सांय तक परीक्षा केन्द्र से अपना डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। इस प्रयोजन हेतु अभ्यर्थी को अपने दो फोटो एवं प्रेषित आवेदन पत्र एवं ओ0एम0आर0 की फोटो प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

10. OMR आवेदन पत्रक को भरने के लिए निर्देश :

(I) सामान्य निर्देश :

a. आवेदन पत्र भरने से पूर्व निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा उसी के अनुसार आवेदन पत्र भरें।

b. आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

c. अधूरे अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

d. ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र का त्रुटिहीन भरना आवश्यक है। इसे मोड़े नहीं और न ही किसी प्रकार से विकृत करें।

e. आवेदन पत्र भरने के लिए काली स्याही के बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेंसिल का प्रयोग न करें। आवेदन पत्र के बॉक्सों में काली स्याही के बॉल प्वाइंट पेन से लिखें तथा सम्बन्धित गोलों को पूर्ण रुप से भरें (काला करें) ।

f. ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में दिये गये गोलों को बहुत सावधानी से भरें। स्याही गोले से बाहर न फेलने पाये। मिटाकर बदलने का प्रयास न करें।

g. सही तरीका

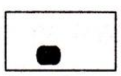

गलत तरीका

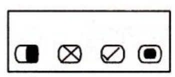

(II) OMR आवेदन पत्र इस प्रकार भरें :

(a) **आवेदन पत्र क्रमांक 1 (अभ्यर्थी का नाम)** : अभ्यर्थी अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में दिये गये बॉक्सों में लिखें। एक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें तथा उस बॉक्स के नीचे दिये गये उसी अक्षर वालें गोले को काला करें। नाम से पहले श्री / श्रीमती / कुमारी (shri/smt/Km) आदि न लगायें।

उदाहरण : यदि आपका नाम SUMIT KUMAR RAWAT है तो आप इस प्रकार भरें →

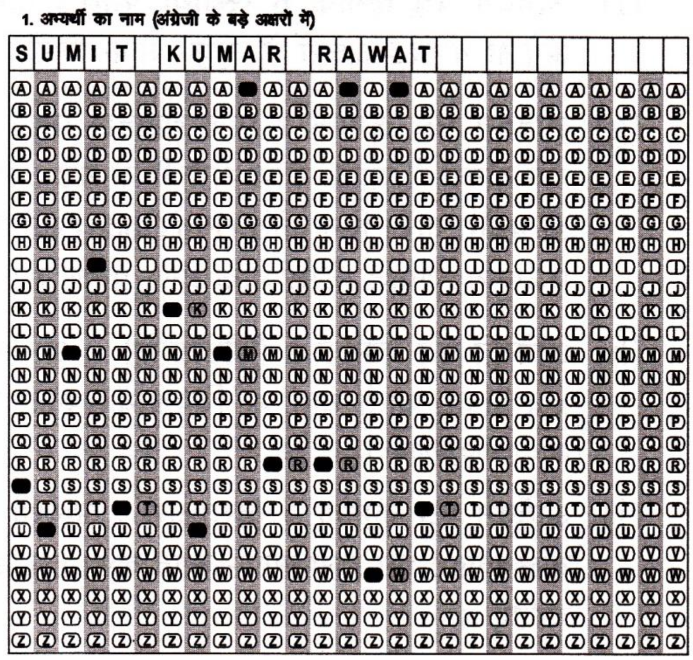

(b) **आवेदन पत्र क्रमांक 2 (पिता का नाम)** : अभ्यर्थी अपने पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में दिये गये बॉक्सों में लिखें। एक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें तथा उस बॉक्स के नीचे दिये गये उसी अक्षर वालें गोले को काला करें।

उदाहरण : यदि आपके पिता का नाम RAJAT KUMAR RAWAT है तो आप इस प्रकार भरें →

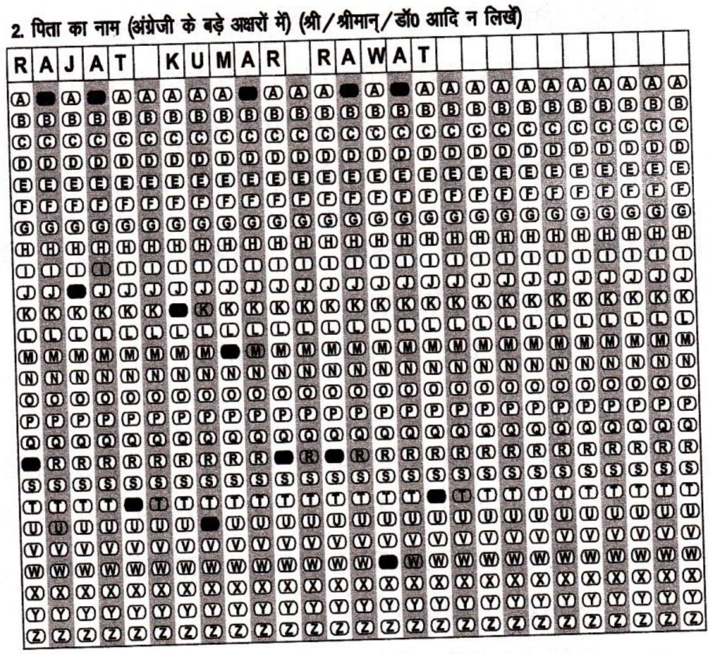
2. पिता का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) (श्री/श्रीमान/डॉ0 आदि न लिखें)

R A J A T K U M A R R A W A T

(c) **आवेदन पत्र क्रमांक 3 (लिंग)** : यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष के सम्मुख बने गोले को काला करें और यदि आप महिला हैं तो महिला के सम्मुख बने गोले को काला करें।

(d) **आवेदन पत्र क्रमांक 4 (श्रेणी)** : अभ्यर्थी अपनी श्रेणी को अंकित करें। आप अपनी श्रेणी के सम्मुख बने गोले को काला करें। सामान्य श्रेणी के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 न0 गोले को काला करें।

(e) **आवेदन पत्र क्रमांक 5 (शारीरिक विकलांगता)** : यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ के सम्मुख बने गोले को काला करें अन्यथा नहीं के सम्मुख बने गोले को काला करें।

(f) **आवेदन पत्र क्रमांक 6 (स्थायी पता)** : अभ्यर्थी अपना स्थायी पता दिये गये बॉक्स में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में साफ–साफ लिखें। पिन कोड (Pin Code) अवश्य लिखें।

(g) **आवेदन पत्र क्रमांक 7 (पत्र व्यवहार पता)** : अभ्यर्थी अपना पत्र व्यवहार का पता दिये गये बॉक्स में साफ–साफ अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखें। केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पिन कोड (Pin Code) सही और अवश्य लिखें। पत्र व्यवहार के पते पर ही पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा प्रवेश पत्र प्रेषित किए जायेंगे।

(h) **आवेदन पत्र क्रमांक 8 (फोटोग्राफ)** : अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज (3·5 cm x 4·5cm) फोटो यहां पर चिपकायें। फोटो को हस्ताक्षरित/सत्यापित नहीं करें। (Do not attest the photo.)

(i) **आवेदन पत्र क्रमांक 9 (हस्ताक्षर)** : अभ्यर्थी यहाँ दिये गये बॉक्स में अपने हस्ताक्षर काले बॉल प्वाइंट पेन द्वारा साफ–साफ करें। हस्ताक्षर निर्धारित खाने की सीमा के बाहर नही होना चाहिए ।

(j) **आवेदन पत्र क्रमांक 10 (जन्म तिथि) :** अभ्यर्थी अपने हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार अपनी जन्मतिथि अंकित करें तथा संबंधित गोलों को अवश्य काला करें।

उदाहरण : यदि आपकी जन्मतिथि 14 मई 1980 है तो इस प्रकार भरे →

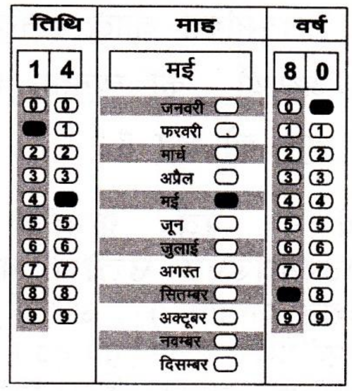

(k) **आवेदन पत्र क्रमांक 11 (न्यूनतम शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता)** : अभ्यर्थी निम्न शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तालिका के अनुसार अपना अर्हता कोड लिखें तथा सम्बन्धित गोले को अवश्य काला करें ।

	शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता	**कोड**
(i)	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (बी.टी.सी./डी.एल.एड) के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षण कर रहे हों अथवा उत्तीर्ण ।	1
(ii)	न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा(बी.टी.सी./डी.एल.एड) , जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार हो के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षण कर रहे हों अथवा उत्तीर्ण	2
(iii)	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी0एल0एड0) के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षण कर रहे हों अथवा उत्तीर्ण ।	3
(iv)	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षण कर रहे हों अथवा उत्तीर्ण ।	4
(v)	स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (बी.टी.सी./डी.एल.एड) के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षण कर रहे हों अथवा उत्तीर्ण ।	5
(vi)	शिक्षा मित्र जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से ही डी0एल0डी0 प्रशिक्षण करवाया जा रहा है और प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण ।	6
(vii)	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बी.एड./एल.टी./शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) प्रशिक्षण कर रहे हों अथवा उत्तीर्ण ।	7
(viii)	समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक बी0एड0/एल.टी./शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) में प्रशिक्षण कर रहे हों अथवा उत्तीर्ण अथवा डी0एड0 (विशेष शिक्षा) अथवा बी0एड0 (विशेष शिक्षा) में प्रशिक्षण कर रहे हों अथवा उत्तीर्ण।	8

नोट :– **<u>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग एवं विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में न्यूनतम अर्हता अंको में 5 प्रतिशत तक की छूट है।</u>**

(l) **आवेदन पत्र क्रमांक 12 (इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण वर्ष व प्रतिशत प्राप्तांक) :** अभ्यर्थी अपने इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण वर्ष एवं प्राप्तांकों का प्रतिशत अंकित करें। उत्तीर्ण वर्ष व प्राप्तांक प्रतिशत दिये गये बॉक्स में लिखें और बॉक्सों के नीचे दिये गये संबंधित गोलों को काला करें।

उदाहरण : यदि आपने 1996 में उत्तीर्ण किया और आपके प्राप्तांक 78.47 प्रतिशत हैं तो आप इस प्रकार भरें →

12 इण्टरमीडिएट योग्यता का विवरण

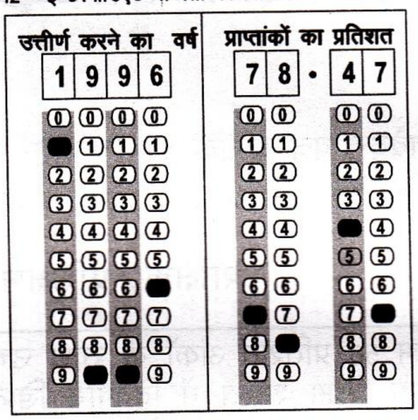

(m) **आवेदन पत्र क्रमांक 13 (स्नातक उत्तीर्ण वर्ष व प्रतिशत प्राप्तांक) :** अभ्यर्थी अपने स्नातक उत्तीर्ण वर्ष एवं प्राप्तांकों का प्रतिशत अंकित करें। उत्तीर्ण वर्ष व प्राप्तांक प्रतिशत दिये गये बॉक्स में लिखें और बॉक्सों के नीचे दिये गये संबंधित गोलों को काला करें।

उदाहरण : यदि आपने 1998 में उत्तीर्ण किया और आपके प्राप्तांक 62.63 प्रतिशत हैं तो आप इस प्रकार भरें →

13. स्नातक योग्यता का विवरण

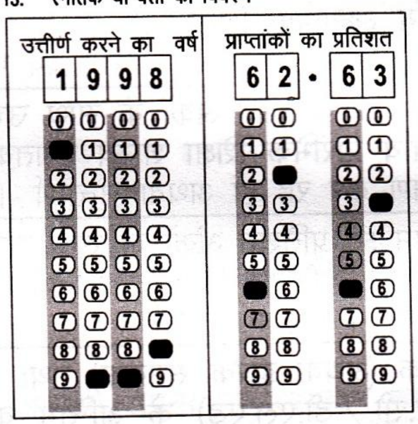

(n) **आवेदन पत्र क्रमांक 14 (प्रशिक्षण योग्यता का विवरण) :** अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण का नाम दिये गये स्थान पर लिखें तथा प्रशिक्षण के सम्मुख बने गोले को अवश्य काला करें।

(o) **आवेदन पत्र क्रमांक 15 (प्रशिक्षण स्थिति) :** यदि आपने प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया है तो उत्तीर्ण के सम्मुख बने गोले को काला करें और यदि आपने अन्तिम वर्ष में सम्मलित है तो अन्तिम वर्ष में शामिल के सम्मुख बने गोले को काला करें।

(p) **आवेदन पत्र क्रमांक 16 (प्रशिक्षण उत्तीर्ण वर्ष) :** यदि आपने प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया है तो अपने प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने का वर्ष अंकित करें तथा बॉक्सों के नीचे दिये गये संबंधित गोलों को काला करें। यदि आप अन्तिम वर्ष में सम्मलित हैं तो यह स्थान खाली रहने दें ।

(q) **आवेदन पत्र क्रमांक 17 (परीक्षा शहर कोड) :** टी0ई0टी0 परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड के 24 शहरों में किया जायेगा। जिनके कोड निम्न दिये गये हैं। अभ्यर्थी कोई दो शहरों के कोड वरीयतानुसार ठीक प्रकार से आवेदन पत्र में अंकित करें। शहर के कोड बॉक्सों में लिखें और बॉक्सों के नीचे दिये गये संबंधित गोलों को काला करें।

परीक्षा केन्द्र हेतु शहर का नाम	**शहर कोड नं0**	
हरिद्वार	0	1
रूड़की	0	2
देहरादून	0	3
ऋषिकेश	0	4
उत्तरकाशी	0	5
नई टिहरी	0	6
नरेन्द्र नगर	0	7
पौड़ी	0	8
श्रीनगर	0	9
कोटद्वार	1	0
गोपेश्वर	1	1
गौचर	1	2

परीक्षा केन्द्र हेतु शहर का नाम	**शहर कोड नं0**	
रूद्रप्रयाग	1	3
पिथौरागढ़	1	4
बेरीनाग	1	5
चम्पावत	1	6
टनकपुर	1	7
अल्मोड़ा	1	8
रानीखेत	1	9
बागेश्वर	2	0
नैनीताल	2	1
हल्द्वानी	2	2
रूद्रपुर	2	3
काशीपुर	2	4

उदाहरण : यदि आपकी प्रथम वरीयता हल्द्वानी और दूसरी काशीपुर है तो आप इस प्रकार भरें →

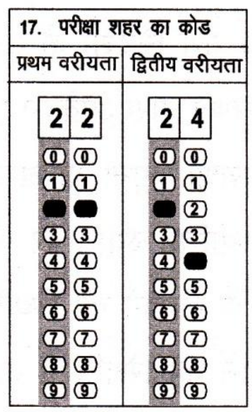

(r) **आवेदन पत्र क्रमांक 18 (चयनित प्रथम भाषा) :** अभ्यर्थी अपने अध्यापन के माध्यम वाली भाषा को यहाँ अंकित करें। यदि आपका अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के सम्मुख बने गोले को काला करें अन्यथा हिन्दी के सम्मुख बने गोले को काला करें। आप हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी एक ही भाषा का चयन कर सकते हैं।

(s) **आवेदन पत्र क्रमांक 19 (चयनित द्वितीय भाषा) :** अभ्यर्थी द्वितीय भाषा को यहाँ अंकित करें। अभ्यर्थी द्वितीय भाषा के रुप में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू चयन कर

सकता है। <u>द्वितीय भाषा प्रथम भाषा से अलग होनी चाहिए</u> अर्थात अगर आपने प्रथम चयनित भाषा अंग्रेजी ली है तो आप द्वितीय भाषा अंग्रेजी नहीं ले सकते और अगर प्रथम हिन्दी ली है तो आप द्वितीय भाषा हिन्दी नहीं ले सकते। अपनी चयनित भाषा के सम्मुख दिये गये गोले को अवश्य काला करें ।

(t) **आवेदन पत्र क्रमांक 20 (शिक्षा मित्र)** : अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो आप हाँ के सम्मुख दिये गये गोले को काला करें अन्यथा नहीं के सम्मुख दिये गये गोले को काला करें।

(u) **आवेदन पत्र क्रमांक 21 (रोजगार स्थिति)** : अगर आप किसी विद्यालय में कार्यरत हैं तो आप हाँ के सम्मुख बने गोले को काला करें अन्यथा नहीं के सम्मुख बने गोले को काला करें।

(v) **आवेदन पत्र क्रमांक 22 (मोबाईल नं0)** : अभ्यर्थी अपना मोबाईल नम्बर यहाँ अवश्य अंकित करें। मोबाईल नम्बर दिये गये बॉक्सों में लिखें तथा प्रत्येक बॉक्स के नीचे दिये गये उसी अंक वालें गोले को काला करें।

11. अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक निर्देश :–

अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह **उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–प्रथम (UTET-I)** हेतु पात्रता के सभी मापदण्डों को पूरा करता है। अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही वह आवेदन करे। OMR आवेदन पत्र में आवेदन प्रारूप के अनुसार ही विवरण पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार सभी तथ्यों को पूर्ण रूप से काली स्याही के बॉल प्वाइंट पेन से भरें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों को ही अंतिम माना जाएगा। अतः यह अनिवार्य है कि अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी / वर्ग / प्राप्तांक एवं अन्य अधिमानों की सही जानकारी आवेदन पत्र में यथोचित स्थान पर दें। आवेदन पत्र में दी गई गलत जानकारी या गलत आरक्षण श्रेणी / वर्ग / प्राप्तांक लिखने की स्थिति में या शैक्षिक योग्यता एवं अन्य आरक्षण आदि के प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा और उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी देने पर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

12. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :–

(a) अभ्यर्थी में ऐसी कोई शारीरिक, मानसिक अक्षमता न हो जिससे अध्यापन कार्य बाधित होता हो।

(b) विज्ञप्ति की तिथि के पूर्व अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं पूर्ण करता हो। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं पर विचार नहीं किया जायेगा। परम्परागत आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(1) हाईस्कूल प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

(2) इण्टर/उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) के अंक पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

(3) स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) उपाधि के अंक पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

(4) प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (निम्नांकित में से आपकी प्रशिक्षण अर्हता अनुसार जो लागू हो)–

(i) प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (बीटीसी /डी.एल.एड) के प्रमाण पत्र की छाया प्रति या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षणरत रहने का संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

(ii) चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी0एल0एड0) के प्रमाण पत्र की छाया प्रति या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षणरत रहने का संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

(iii) द्विवर्षीय डी0एड0 (विशेष शिक्षा) के प्रमाण पत्र की छाया प्रति या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षणरत रहने का संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

(iv) बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/एल0टी0/शिक्षा शास्त्री(केवल संस्थागत) के प्रमाण पत्र की छाया प्रति या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणरत रहने का संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र.

(5) सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार मजिस्ट्रेट) द्वारा प्रदत्त आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

नोटः–समस्त शैक्षिक उपाधियाँ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गयी हों। प्रशिक्षण उपाधियाँ एन0सी0टी0ई0 अथवा आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त की गयी हों अथवा प्राप्त की जा रही हों।

(c) टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण करना किसी भी अभ्यर्थी को भर्ती/नियुक्ति के लिए अधिकार नहीं देता है। यह भर्ती/नियुक्ति के लिए मात्र अर्हता है।

(d) उक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को उनके द्वारा OMR आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों के आधार पर सम्मिलित कराया जा रहा है तथा उनका अभ्यर्थन नितान्त औपबंधिक है। नियुक्ति से पूर्व, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी अर्हता का सत्यापन करेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थी का अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(e) अधूरे एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।

(f) अभ्यर्थी OMR आवेदन पत्र पर अपनी नवीनतम **बिना** हस्ताक्षरित/**बिना** सत्यापित फोटो चिपकायें ।

(g) परम्परागत आवेदन पत्र पर राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो इस ढंग से चिपकायें कि आधे हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर भी हों।

(h) अभ्यर्थी फोटो को स्टैपल अथवा किसी पिन से नत्थी न करें। अभ्यर्थी ऐसे दो समान फोटो अपने पास भी अवश्य रख लें ताकि आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया जा सके।

(i) ओ0एम0आर0 शीट पर स्टेपल अथवा कोई भी पिन नत्थी न करें। OMR आवेदन निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं और से न मोड़े तथा इस हेतु निर्धारित **लिफाफा नं0–2** में ही रखें। OMRपत्रक भरने से पूर्व OMR पत्रक में दिए गये निर्देशों को पढ़ लें।

(j) अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र स्वयं भरना होगा। आवेदक के हस्ताक्षर, नमूना हस्ताक्षर जहाँ पर भी होने हों, उन सभी स्थानों पर एक ही प्रकार के हस्ताक्षर हों।

(k) निर्धारित आवेदन पत्र निर्धारित डाकघरों से निर्धारित शुल्क के नकद भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते है।

(l) अध्यापक पात्रता परीक्षा संबंधी विज्ञप्ति एवं अन्य विवरण **बेबसाइट** www.ubse.in पर भी उपलब्ध है।

(m) अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 एवं परम्परागत आवेदन पत्रों की एक फोटो प्रति करवाकर अपने पास अवश्य रखें तथा भविष्य में परीक्षा संस्था से किऐ जाने वाले समस्त पत्राचार में उक्त ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र संख्या का उल्लेख अवश्य करें। सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्रों की छाया प्रति प्रदान करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(n) उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित किसी भी वाद हेतु न्यायालयी क्षेत्राधिकार रामनगर (नैनीताल) होगा।

(o) उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल, पेजर, लेपटॉप, कैलकुलेटर, डिजीटल घड़ी इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(p) **पुनर्मूल्यांकन एवं सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) हेतु कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेंगा।**

नोट– (1) **पूर्ण जानकारी हेतु बेबसाइट** www.ubse.in **लॉग आन कर सकते हैं।**

(2) **कम्प्यूटरीकृत ओ0एम0आर0 पत्रक व विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न परम्परागत आवेदन पत्र भी भरा जाना आवश्यक होगा।**

डा0 दयाकृष्ण मथेला
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।